बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022...6727...पटना, दिनांक :– 01.09.23

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 160 दिनांक 10.02.2023 द्वारा श्री निरंजन कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03838) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि ये प्लॉट पर जाकर किस्तवार एवं खानापुरी कार्य नहीं करते हैं, दाखिल–खारिज के नाम पर रैयतों से अवैध वसूली करते हैं तथा अपने कर्त्तव्य से आदतन अनाधिकृत अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही 859 दिन बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा खानापुरी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इनके द्वारा कार्यो में लापरवाही, शिथिलता एवं अनियमितता बरतने के आलोक में चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2632 दिनांक 03.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें पुनः एक अवसर इस कार्यालय के पत्रांक 5730 दिनांक 11.07.2023 द्वारा दिया गया है। स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी खानापुरी का कार्य नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि ये कार्य के प्रति लापरवाह हैं। ये आदतन अनुपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ स्पष्टीकरण का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। प्रस्तुत मामले में नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये कोई अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। इनका कृत्य बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा को सम्पुष्ट करता है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इस कार्य हेतु प्रक्रमवार समयावधि निर्धारित है। इनके द्वारा आदतन अनुपस्थित रहने एवं लम्बी अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं करने से विशेष सर्वेक्षण के अन्य प्रक्रम के कार्यो में विलंब हुआ है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस परिपेक्ष्य में इन्हें संविदा में बनाए रखने से इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री निरंजन कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03838) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

1/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ह0 प्र0 30

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022..6727 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– श्री निरंजन कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03838), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022..6727 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022..6727 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री शर्मा की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
29/8/23